

अनुसूचति जातकी मान्यता हेतु मानदंड

प्रलमिस के लयि:

SC दरजा के लयि मानदंड, 1950 का संवधान (अनुसूचति जात) आदेश, भारत का महापंजीयक ।

मेन्स के लयि:

SC दरजा पाने के लयि मानदंड और दलति ईसाइयों और मुसलमानों के समावेश के पक्ष और वपिकष में तरक ।

चरचा में कयों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1950 के संवधान (अनुसूचति जात) आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार की स्थतिका की जानकारी मांगी है, जो केवल हदुि, सखि और बौद्ध धर्मों के सदस्यों को SC के रूप में मान्यता देने की अनुमतता देता है ।

याचिका में क्या है?

- दलति ईसाइयों और मुसलमानों को शामिल करने के लयि तरक देने वाली याचिकाओं में कई स्वतंत्र आयोग की रपिर्टों का हवाला दया गया है, जसिमें भारतीय ईसाइयों और भारतीय मुसलमानों के बीच जात एवं जात असमानताओं के असततित्व का दस्तावेजीकरण कया गया है ।
- याचिकाओं से पता चलता है क SC के सदस्य धर्मांतरण के बाद भी उन्हीं सामाजकि बाधाओं का अनुभव करते हैं ।
- याचिकाओं में इस प्रस्ताव के खलाफ तरक दया गया है क धर्मांतरण जातकी पहचान खो देती है, यह देखते हुए कसखि धर्म और बौद्ध धर्म में भी जातवाद मौजूद नहीं है और फरि भी उन्हीं SC के रूप में शामिल कया गया है ।
- वभिन्नि रपिर्टों और आयोग का हवाला देते हुए याचिकाओं में तरक दया गया है क धर्मांतरण के बाद भी जात-आधारति भेदभाव जारी हैइसलयि इन समुदायों को SC का दरजा दया गया है ।

1950 के संवधान आदेश में कसि शामिल कया गया है?

- अधनियमति होने पर, वर्ष 1950 के संवधान (अनुसूचति जात) आदेश ने शुरु में असपृश्यता की प्रथा से उत्पन्न सामाजकि वकिलांगता को संबोधति करने के लयि केवल हदुिओं को अनुसूचति जात के रूप में मान्यता देने का प्रावधान कया था ।
- वर्ष 1956 में इस आदेश में संशोधन कया गया था ताक सखि धर्म अपनाने वाले दलतियों को शामिल कया जा सके और वर्ष 1990 में एक बार फरि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलतियों को शामिल कया जा सके । दोनों संशोधनों को वर्ष 1955 में काका कालेलकर आयोग और वर्ष 1983 में अल्पसंख्यकों, अनुसूचति जातयों और अनुसूचति जनजातयों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल (हप्प) की रपिर्टों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी ।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 1936 की तत्कालीन औपनविशकि सरकार के 1936 के इंपीरयिल ऑर्डर द्वारा बहषिकार का हवाला देते हुए वर्ष 2019 में दलति ईसाइयों को अनुसूचति जातयों के सदस्यों के रूप में शामिल करने की संभावना को खारजि कर दया था जसिने पहले दलति वर्गों की एक सूची को वर्गीकृत कया था और वशिष रूप से "भारतीय ईसाइयों" को इससे बाहर रखा था ।

दलति ईसाइयों को बाहर रखने का कारण:

- भारत के महापंजीयक कार्यालय (RGI) ने सरकार को आगाह कया था क अनुसूचति जात का दरजा असपृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजकि अक्षमताओं से पीड़ति समुदायों के लयि है, जो क हदुि और सखि समुदायों में प्रचलति थी ।
- इसने यह भी नोट कया क इस तरह के कदम से देश भर में अनुसूचति जात की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धा होगी ।
- वर्ष 2001 में RGI ने वर्ष 1978 के नोट का जकिर कया और कहा क दलति बौद्धों की तरह जो दलति इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तति हुए वे वभिन्नि जात समूहों के थे, न क केवल एक जात के, जसिके परणामस्वरूप उन्हीं "एकल जातीय समूह" के रूप में वर्गीकृत नहीं कया जा सकता है । जसि शामिल करने के लयि अनुच्छेद 341 के खंड (2) का पालन करना आवश्यक है ।
- इसके अलावा RGI ने कहा क चूँक "असपृश्यता" की प्रथा हदुि धर्म और उसकी शाखाओं की एक वशिषता थी, इसलयि दलति मुसलमानों एवं दलति ईसाइयों को SC के रूप में शामिल करने की अनुमतता देने से "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत समझा जा सकता है क भारत ईसाइयों व मुसलमानों पर

अपनी जातव्यवस्था थोपने" की कोशिश कर रहा है।

- वर्ष 2001 के नोट में यह भी कहा गया है कि दलित मूल के ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरण के कारण अपनी जातगत पहचान खो चुके हैं एबनके नए धार्मिक समुदाय में अस्पृश्यता की प्रथा प्रचलित नहीं है।

धर्म-तटस्थ आरक्षण के पक्ष में तर्क:

- धर्म परिवर्तन से सामाजिक पहचान नहीं बदलती है।
- सामाजिक पदानुक्रम और विशेष रूप से जातिपदानुक्रम ईसाई धर्म व मुसलमानों के भीतर बना हुआ है, भले ही धर्म इसे मना करता है।
- उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आरक्षण को धर्म से अलग करने की आवश्यकता है।

सरकार का इस मुद्दे पर विचार:

- वर्ष 1996 में सरकार सबसे पहले संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में संशोधन के लिये एक विधेयक लाई जिसे पारित नहीं किया जा सका।
- सरकार ने कुछ ही दिनों में दलित ईसाइयों को अध्यादेश के माध्यम से अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने का प्रयास किया, जिससे भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन तब इसे प्रख्यापित नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2000 में अटल बहारी वाजपेयी सरकार ने RGI एवं तत्कालीन [राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग](#) की राय मांगी थी कि क्या दलित ईसाइयों को शामिल किया जा सकता है। दोनों ने प्रस्ताव के खिलाफ सफ़ारिश की थी।
- इसके अलावा समय-समय पर कई प्रयास किये गए लेकिन सभी विफल रहे।

अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है।
- अनुच्छेद 16 (4A) के अनुसार, यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं एवं पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षण करते हैं।
- पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।

[स्रोत: द हिंदू](#)